पत्रांक--9/दा0खा0-4-विविध-समस्तीपुर-13/2015 (9)/रा0.

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
संयुक्त निदेशक,
कृषि गणना।

E-mail
Fax

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-.................................

विषय -- **रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण के संबंध में।**

प्रसंग- **समाहर्त्ता, समस्तीपुर का पत्रांक-95/मु0, दिनांक-22.04.2017 एवं विभागीय पत्रांक-578, दिनांक-11.09.2017**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण के संबंध में यह सूचित किया गया था कि बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 एवं बिहार काश्तकारी नियमावली, 1886 में आवश्यक संशोधन करते हुए रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण से संबंधित प्रावधान किया जाना विभाग के स्तर पर प्रस्तावित है, जिसके कारण जब तक नियमावली अधिसूचित नहीं की जाती है तब तक लगान निर्धारण की कार्रवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा-158 में नई उप धारा-158सी एवं धारा-158डी जोड़ा गया है, जिसके द्वारा रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण संबंधी प्रावधान का समावेश किया गया है। अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को लगान निर्धारण किये जाने का सक्षम प्राधिकार घोषित करते हुए जिला के अपर समाहर्त्ता को अपीलीय प्राधिकार घोषित किया गया है। इस संबंध में बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 भी अधिसूचित किया जा चुका है, जिसके तहत बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के नियम-53 में आवश्यक संशोधन करते हुए उप नियम-2 एवं उप नियम-3 जोड़ते हुए रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन का लगान निर्धारण से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

3. बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 विभागीय अधिसूचना सं0-01-21/2017-186, दिनांक-05.09.2017 से एवं बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 विभागीय अधिसूचना सं0-80(8), दिनांक-13.02.2018 से संसूचित है।

इस प्रकार विभागीय पत्रांक-578, दिनांक-11.09.2017 को विलोपित करते हुए अनुरोध है कि बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 एवं बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में रैयती बेलगान/काबिल लगान जमीन के लगान निर्धारण की कार्रवाई किये जाने का आदेश अपने जिला के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता को दिये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

e-mail

ज्ञापांक :- 409 (9)/रा0, पटना-15 दिनांक- 29.5.18

प्रतिलिपि-सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

D:\2018\05 May 06 June 07 July 08 August\Letter\Letter-01-05-18.doc